पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ. रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

[illegible]

[illegible] और विनिश्चय सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

[illegible] विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, [illegible] से पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) [illegible] (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, [illegible] (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

[illegible]

[illegible] का सेवार्थ, भारतीय दूरसंचार निगम नई दिल्ली ने [illegible] महाप्रबंधक (WTR) भारतीय दूरसंचार निगम लि. [illegible] सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग [illegible]

... किया जाता है।

... उत्पादन, सहायक, पशुपालन ...

... के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बघाई, मुख्य सचिव

... राज्य सरकार के अधीन ... में निम्नांकित मतदान केन्द्र ... (स्वशासी परिषद्) क्षेत्रों के लिये सामान्य ...

... विश्वविद्यालय ...

... के नाम से तथा आदेशानुसार,
... द्विवेदी, ...

परिशिष्ट ...

			वार्डों की संख्या
		[illegible]	[illegible]
		... भिलाई	64
		... परिषद् भिलाई-चरौदा	36
		... परिषद् आमुर	15
		योग	121

[illegible] Chhattisgarh Krishi [illegible] makes the following amendments in the [illegible] under Section 69 of the Act, namely :-

AMENDMENTS

[illegible] Schedule [illegible]

[illegible] के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप सचिव.

राजस्व विभाग

[illegible] राजस्व विभाग

[illegible] में वर्णित भूमि [illegible] आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः [illegible] संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा [illegible] उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ब्राज परियोजना के [illegible]

[illegible] में किया जा सकता है.

2007

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

[illegible]

			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
[illegible]	[illegible]	[illegible]	रोहा जलाशय बांध एवं नहर हेतु भूमि अर्जन

[illegible]

[illegible]

			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
[illegible]	[illegible]	[illegible]	रोहा जलाशय बांध एवं नहर हेतु भूमि अर्जन

[illegible]

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

[illegible] श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

[illegible] राजस्व विभाग

[illegible]

[illegible] अनुसूची [illegible] आवश्यकता है, [illegible] आवश्यकता पड़ने की [illegible] के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित [illegible] अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में [illegible]

अनुसूची

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
					(6)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible] है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) [illegible] आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की [illegible] के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित [illegible] अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध [illegible]

अनुसूची

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
					(6)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
---00---

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

क्रमांक एफ 2–4/2010/1–सूअप्र ::, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क. 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 के उप–नियम (1) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात्:–

   "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष (60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ,"

2. नियम 4 के उप–नियम (3) में, शब्द "नान ज्युडिशियल स्टाम्प के रूप में" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द एवं अंक जोड़ा जाए, अर्थात्:–

   "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर अथवा चालान द्वारा, मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष (60)– अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ,"

3. उक्त संशोधन जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..................2

C:\KE\Kushwaha\Kushwaha Letter\1

क्रमांक एफ 2–4/2010/1–सूअप्र ::: रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–2–4/2010/1–सूअप्र, दिनांक 04 नवम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....3

Chhattisgarh Government
General Administration Department
Right to Information Cell,
Mantralya Dau Kalyan Singh Bhavan

NOTIFICATION

Raipur, Dated the 4 November, 2011

No. F 2-4/2010/1-RTI ::: In exercise of the powers conferred by sub-secion (1) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, Right to Information (Appeal) Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

1. In sub-rule (1) of Rule 3, after the words "non-judicial stamp", following words and figures shall be added, namely :-

> "or demand draft or Banker's Cheque (up to ₹. 1000 uncrossed and above ₹. 1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major-head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"

2. In sub-rule (3) of Rule 4, after the word "non-judicial stamp', the following words and figures shall be adeed, namely:-

> " or demand draft or Banker's Cheque (up to ₹1000 uncrossed and above ₹1000 crossed) or Indian Postal Order or by challan in Major- head-0070-other administrative services, sub-major head (60)-other services, minor head (118)-receipts under Right to Information Act, 2005"

3. It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(K.R. Mishra)
Joint Secretary,
Chhattisgarh Government
General Administration of Department

\\HF\Kushwaha\Kushwaha Letters\4

क्रमांक एफ 2-4/2010/1—सूअप :: रायपुर, दिनांक 4 नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि :—

1. समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली,
3. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन रायपुर,
4. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
6. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
8. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
9. समस्त कलेक्टर, रायपुर,
10. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण,
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर

को ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

इस अधिसूचना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से अपील शुल्क जमा करने के लिये बजट शीर्ष, उपशीर्ष, लघुशीर्ष, संशोधित किये गये हैं, अतः अपील शुल्क संशोधित शीर्ष के अंतर्गत जमा किये जायें ।

कृपया अधिसूचना की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाकर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जावे।

2. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
--00--

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2012

क्रमांक एफ 2–4/2010/1–सूअप्र –, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क. 22, सन् 2005) की धारा 27 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–उप मुख्य शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियाँ" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष–(60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष–(118)–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ," प्रतिस्थापित किए जाएं।
2. नियम 4 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (₹.1000 तक के अरेखांकित तथा ₹.1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–उप–मुख्य शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियाँ" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष–(60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष–(118)–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ," प्रतिस्थापित किए जाएं।
3. नियम 5 में, शब्द "मुख्य शीर्ष 0070–उप–मुख्य शीर्ष–800–अन्य प्राप्तियाँ" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष–0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप–मुख्य शीर्ष (60)–अन्य सेवायें, लघु शीर्ष (118)–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ" प्रतिस्थापित किये जाएं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर. मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

4 FEB 2012

पृ० क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सुअप्र   रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली,
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर
4. महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर,
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
6. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर, समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़,
7. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय रायपुर,
10. समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़ ।
11. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़ ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय ।
13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
14. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, संसदीय सचिवगण ।
15. मुख्य सचिव के अवर सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर ।
16. नियंत्रक, क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित अधिसूचना की 300 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) इस अधिसूचना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से शुल्क (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) जमा करने के लिये बजट शीर्ष, उपशीर्ष, लघुशीर्ष, संशोधित किये गये हैं, अतः शुल्क एवं मूल्य विनियमन शुल्क संशोधित शीर्ष के अंतर्गत जमा किये जायें ।

(2) कृपया अधिसूचना की प्रति समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाकर संशोधित अधिसूचना के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित की जावे।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक 227/स्था/छगराసూआ/12 रायपुर, दिनांक 25/12/2012

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सूचना आयुक्त, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
2. निज सहायक, राज्य सूचना आयुक्तगण, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
3. सचिव, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
4. उपसचिव/अवर सचिव/लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/अनुभाग अधिकरी, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
5. वाचक गण 1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

O/C

प्रभारी अधिकारी स्थापना
छ.ग. राज्य सूचना आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

— 196 —

क्रमांक एफ 2–19/2006/1/6 रायपुर दिनांक 27 जुलाई, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन।

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ लोक अधिकारियों/जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों का समुचित अध्ययन न किये जाने के कारण अधिनियम का प्रभावी रुप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

2/ सूचना का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु विभागीय सचिव इस पर व्यक्तिगत ध्यान दें तथा सभी अधिकारियों द्वारा अधिनियम एवं राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का बार–बार अध्ययन करने के साथ ही निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जायः--

1. विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को ही जनसूचना अधिकारी नामांकित किया जाय। जन सूचना अधिकारी के अवकाश या अन्य कारणों से अनुपलब्धता की स्थिति में लिंक अधिकारी का बन्दोबस्त किया जाय।
2. विभाग के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों (एन.जी.ओ.सहित) की जानकारी सचिव स्तर से एकजाई कर सा0प्र0 विभाग को समयावधि में भेजी जाय।
3. सूचना आयोग से केवल सचिव स्तर से ही पत्राचार किया जाय। निचले स्तरों से पत्र व्यवहार/मार्गदर्शन आदि सूचना आयोग से नही किया जाये।
4. सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार से संबंधित पूर्ण जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे। अब तक यदि यह न किया गया है तो अगले 15 दिनो में कर लिए जाए।
5. नियत समयावधि के पश्चात् जानकारी निःशुल्क दी जाना होती है इससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार आता है। अतः इस पर होने वाला व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु कार्यवाही की जाय । यदि सूचना से वंचित आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग, सूचना आयोग द्वारा, न्यायोचित पाई जाती है तो उसका भुगतान संबंधित को किया जाए तथा इसकी वसूली भी दोषी अधिकारी से करने हेतु विभाग नियमानुसार कार्यवाही करे।

..............2

//2//

6. कार्यालयीन रिकार्ड व्यवस्थित रखा जाय, ताकि अभिलेख ढूंढने में अनावश्यक विलंब न हो एवं निर्धारित अवधि में जानकारी दी जा सके।
7. स्वयं प्रकटीकरण अभिलेख छत्तीसगढ़ राज्य की वेबसाइट पर अद्यतन रखी जाए तथा जिन विभागों द्वारा पूर्ण जानकारी प्रदर्शित नही की गई है उसे शीघ्र प्रदर्शित किया जाए।
8. कार्यालयीन अभिलेख के विनिष्टीकरण का समय तथा विनिष्ट किये गये अभिलेखों की जानकारी भी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाय ताकि आवेदकों को ऐसी जानकारियां मांगने हेतु अनावश्यक कठिनाई न हो।
9. प्रथम अपील में आवेदक को सुनवाई हेतु अनिवार्य रुप से बुलाया जाय आवश्यक होने पर उसे नियमानुसार विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का समयावधि (30 दिन के भीतर) में निपटारा स्पष्ट कारण बताते हुए (स्पीकिंग आर्डर) किया जाय। अपीलीय अधिकारी पर जुर्माने का प्रावधान नही है परन्तु दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
10. सभी कलेक्टरों की जानकारी सचिव राजस्व विभाग के माध्यम से आएगी। जानकारी के प्रपत्र अलग से प्रसारित किए जायेंगे।
11. अधिनियम के तहत ली जाने वाली फीस/शुल्क के साधन का गहन प्रचार-प्रसार किया जाय।
12. कार्यालयीन बजट में डाक व्यय,स्टेशनरी व्यय एवं सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशानुसार क्षति-पूर्ति दावो (डिक्रीधन) आदि के भुगतान के साथ-साथ अमले की कमी को पूरा करने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान कराया जाये।
13. पंचायत स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में पर्याप्त रुप से प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण कराया जावे, ताकि प्रत्येक आम जनता को इसकी जानकारी हो।
14. प्रभारी सचिव द्वारा जिले के दौरे के समय एवं विभागीय बैठकों में सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन की समीक्षा नियमित रुप से की जाय।
15. आवेदक को उपलब्ध कराई गई सूचना, आयोग को पृष्ठांकित नहीं की जाए।
16. सूचना आयोग को भेजे जाने वाले पत्र आदि सचिव,छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को संबोधित किये जावें।

(वी.के.राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.........3

क्रमांक एफ 2-19/2006/1/6 रायपुर दिनॉक 27 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि:-

1 सचिव,सूचना आयोग निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,शंकर नगर रायपुर,
2 महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव,राजभवन,रायपुर
3. सचिव,छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,रायपुर
4 रजिस्ट्रार,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
5. सचिव,मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर
6. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव,मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण
7. मुख्यसचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय,रायपुर
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय रायपुर
9. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
10. सचिव,छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय,रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर- 492001

क्रमांक एफ 2-9/2008/1-मु.अ. रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2010

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(3)(छ) के अंतर्गत छ.ग. राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रेषित सुझावों पर कार्यवाही बाबत्।

00

छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रभावशील है तथा छ.ग. राज्य सूचना आयोग कार्यरत है। छ.ग. आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 के अध्याय-छ के बिन्दु क्रमांक 6 में सुझाव दिया गया है कि- "लोक सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी, यथाप्य वरिष्ठता के होने चाहिए।

2/ आयोग के उक्त सुझाव के संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि- "विभिन्न लोक प्राधिकारी (Public Authority) अर्थात् मंत्रालय के विभाग, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर आदि के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नाम निर्दिष्ट करते समय विषय की महत्ता को देखते हुए उचित वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए"।

3/ उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित करें।

सही
(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-9/2008/1 मु.अ. रायपुर, दिनांक सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि:- सचिव, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

सं.एफ. 10/9/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक : 26 अप्रैल, 2011

विषय: भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क की अदायगी कर सकता है। इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ लोक प्राधिकरण भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं करते हैं।

2. यथोक्तानुसार, नियमों के अंतर्गत शुल्क की अदायगी के तरीकों में एक माध्यम भारतीय पोस्टल ऑर्डर है। आईपीओ के माध्यम से शुल्क स्वीकार किए जाने से इंकार आवेदन को स्वीकार करने से मना करने जैसा लिया जाएगा। इसका परिणाम अधिनियम की धारा 20 के अनुसार संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा शास्ति लगाया जाना हो सकता है। अतः सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपीओ द्वारा शुल्क की अदायगी से इंकार न हो।

3. इस का.ज्ञा. के संदर्भों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

सही
(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राज्य लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

[illegible] 1249/2010/[illegible] रायपुर, दिनांक 22/12/2010

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनुरोध का निपटारा तथा अपील की सुनवाई निर्धारित समय में किये जाने के संबंध में

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसी तरह प्रथम अपील के प्रकरणों में अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी अपील का निपटारा निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जा रहा है जिसके कारण आवेदकों को राज्य सूचना आयोग में [illegible] द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यह स्थिति उचित नहीं है।

2- अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध का निपटारा तथा प्रथम अपील का निपटारा धारा 19 के अनुसार निर्धारित समयावधि अर्थात् 30 दिवस के अंदर, भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (का. एवं प्र. विभाग) के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 5/10/2009 द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की [illegible] में [illegible] प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

(1) आवेदनों के निपटानों के लिए कि जाने वाली प्रक्रिया

क्र.सं.	परिस्थिति	आवेदन का निपटान करने हेतु समय-सीमा
1	सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति	30 दिन
[illegible]	[illegible] व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित हो तो [illegible] आपूर्ति	48 घंटे
[illegible]	[illegible] सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त [illegible] में सूचना की आपूर्ति	क्र.सं. 1 तथा 2 पर दर्शायी गई समय अवधि में 5 दिन और जोड़ दिये जायेंगे

4	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकरण से स्थानांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की आपूर्ति (क) सामान्य स्थिति में (ख) यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो	(क) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर (ख) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर
5	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति (क) यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो (ख) यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोप से हो	(क) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर (ख) आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर
6	यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित हो तथा तीसरी पार्टी ने इसे गोपनीय माना हो तो सूचना की आपूर्ति	मार्गनिर्देशों के इस भाग के पैरा 23 से 28 में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए मुहैया करवाई जाए
7	ऐसी सूचना की आपूर्ति जिसमें आवेदक को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा गया है	आवेदक को अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करने तथा आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को उत्तर देने की दृष्टि से नहीं गिना जाएगा।

प्रथम अपील के संबंध में प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। इसके लिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर होना चाहिए जिसमें निर्णय के पक्ष में समुचित तर्क दिये गए हों।

यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जानी अपेक्षित है तो वह या तो (i) लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए। हालांकि, यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्रवाई का दूसरा रास्ता चुने तथा वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे।

यदि लोक सूचना अधिकारी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह आवश्यक कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।

अपील के निपटान के लिए समय-सीमा

प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। अपवाद स्वरूप मामलों में अपीलीय प्राधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में 30 दिन से अधिक का समय लगता है, अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में

6। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

सही
(सैयद कौसर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर, दिनांक 22/12/2010

पृ. क्र. एफ 2/ 1249/2010/1 मुअप्र

प्रतिलिपि:

1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़,
2. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर,
4. सचिव, छ.ग. विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
5. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भाग–04

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
छत्तीसगढ़ शासन के नियम एंव महत्वपूर्ण परिपत्र

कार्यालय
नगर पालिक निगम,रायगढ़ (छ.ग.)
दूरभाष नं0–07762–222911 फैक्स नं0–07762–222923
E-mail:-nraigarh@ymail.com, website www.nagarnigamraigarh.com